न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :–194 / 2017 दायर दिनांक: 16.11.2017

GCMS NO:- 2017/00357

पीठासीन अधिकारी :–शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. कल्याण आ0 पांचूलाल जाति कराड निवासी ग्राम उंरासी पोस्ट गुढासदावर्तियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. अम्बाशंकर आ0 पांचूलाल जाति कराड निवासी ग्राम उंरासी पोस्ट गुढासदावर्तियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,92क,188 आर.टी एक्ट।

उपस्थितिः–

वादी की ओर से अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 31.01.2024

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां में कृषि भूमि खसरा संख्या 2711 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। जिसका इन्द्राज वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संख्या 1 सम्वत् 2072 से 2075 तक में हो रहा है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित 10 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि पर विगत 45 वर्षो से वादीगण का अपने पिता के समय से ही निरन्तर निर्वाध कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण की प्रत्येक वर्ष फसल बोकर काटकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर इस वर्ष खरीफ की फसल में वादीगण ने उडद की फसल बोयी व काटी है रबि की फसल में गेहूँ व मसूर की फसल बोयी व काटी थी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर अपने पिता के वक्त से ही वादीगण का विगत 45 वर्षो से निरन्तर निर्बाध कब्जा काश्त होने व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं, विज्ञप्तियों नोटिफिकेशन एवं निर्देशों के आधार पर वादीगण उक्त भूमिपर खातेदार आसामी की हैसियत प्राप्त कर चुके है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 से वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण को सहखातेदार कृषक घोषित करने बाबत् कितनी ही मरतबा लिखित में व मोखिक रूप से निवेदन किया अंतिम बार वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 01.11.2017 को उक्त भूमि पर वादीगण को सहखातेदार कृषक घोषित कर वादीगण के नाम का इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज करने एवं तद्नुसार जमाबंदी में हो रहे वर्तमान इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदार कृषक मानने से इंकार कर दिया व वादीगण को कोर्ट में वाद पेश हेतु निर्देशित किया। वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी जो वाद का कारण है। यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के संबध में जमाबंदी राजस्व अभिलेख में वर्तमान मे हो रही प्रविष्टि पूर्ण अवैध अनाधिकृत एवं प्रभावशून्य है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर अपने आपको संयुक्त रूप से खातेदार आसामी घोषित करवाये तद्नुसार रेकार्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी में सहखातेदार के रूप में अपने नाम का इन्द्राज करवाकर जमाबंदी में हो रहे वर्तमान इन्द्राज को रेकार्ड से दुरूस्त करवायें। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को काबिज काश्त कृषि योग्य उपजाऊ बनाने में वादीगण ने अब तक 10–11 लाख रूपये खर्च कर दिये है वादीगण के परिवार में 15 सदस्य है यदि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर खातेदार कृषक घोषित नही किया [illegible] वादीगण उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेंगे जिससे वादीगण को अपार [illegible] क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नहीं होगी।

प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट [illegible] का कब्जा कथन रिकार्ड से प्रभावित नही होता है। [illegible] 2078 में [illegible] नही है। वादी अतिक्रमी कानूनन बेदखली योग्य है एवं प्रतिवर्ष बेदखल किया जाता रहा है। भूमि राजकीय सिवाय [illegible] रिकार्ड है, जिस पर आवन्टन एवं नियमन प्रक्रिया द्वारा ही अधिकार प्राप्त होते है। अतः वाद खारिज योग्य है। भू0अ0 निरीक्षक बांसी की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2021 के अनुसार वादियान की जाति कराड है जो ओबीसी वर्ग में आते है। जबकि भूमि एस0सी0 समर्पित राजकीय भूमि है, जिस पर वादियान का अनाधिकृत कब्जा है। जिन्हे नियमानुसार समय समय पर बेदखल किया जाता रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

...गे निम्नानुसार तनकी बिन्दु कायम किये गए–

...की– 1. आया वादीगण ग्राम बांसी तहसील नैनवां की कृषि भूमि खसरा संख्या 2011 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द बनाने के अधिकारी है।

तनकी– 2. आया प्रतिवादी भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज होने से वादीगण को खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः वाद खारिज योग्य है।

तनकी– 3. अनुतोष।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बयान गवाहान आदि का अवलोकन किया। वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं बयान गवाहान के आधार पर यह साबित होता है कि वादीगण भूमि खसरा संख्या 2711 पर मात्र अनाधिकृत कब्जेदार की हैसियत से काबिज है जिन्हे समय–समय पर बेदखल किया जाता रहा है। राजकीय भूमि पर से समय–समय पर बेदखल किये जाने के कारण वादीगण का उक्त भूमि पर कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। यह कि भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जो रिकार्ड से साबित होती हैं। अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होती है।

अतः राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज वादीगण, जिन्हे समय–समय पर बेदखल किया जाता रहा है, को खातेदारी अधिकार दिया जाने का वाद वादीगण खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ व इजलास पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिह गुर्जर

1. कल्याण आ0 पांचूलाल जाति कराड निवासी ग्राम उंरासी पोस्ट गुढासदावर्तियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. अम्बाशंकर आ0 पांचूलाल जाति कराड निवासी ग्राम उंरासी पोस्ट गुढासदावर्तियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,89,92क,188 आर.टी एक्ट।

वाद संख्याः—194 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**...............बहाजरी वादी के अभिभाषक ....—... मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है किः—

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

........................चीज ....—..................... मुबलिग ....—............................ बाबत ....—..............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....—...................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....—...................................... को अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.01.2024 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, नैनवां
उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—		—	—

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, नैनवां
उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested